आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00477

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः–साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 126/2019 (राजवीर बनाम प्रताप वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 14.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 के अनुसार ग्राम बासहरिपुरा पटवार हल्का झटावा खुर्द की सरहद में स्थित भूमि हाल ख0न0 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 87, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 170, 171 कुल किता 22 कुल रकबा 33.41 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नाराम के हिस्से में दर्ज 1/6 हिस्से की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का अर्थात सम्पूर्ण भूमि में प्रत्येक को 1/30–1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 14.09.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 126 / 2019

राजवीर पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी बास हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
वादी

बनाम

1. प्रताप पुत्र चुन्नाराम
2. संतोष देवी पत्नी प्रताप
3. राजेश कुमार पुत्र प्रताप
4. सरोज पुत्री प्रताप
5. देवकरण सिंह पुत्र माधाराम
6. शुभकरण सिंह पुत्र माधाराम
7. सुरेश पुत्र माधाराम
8. मनभरी पत्नी माधाराम
9. कश्मीरसिंह पुत्र नारायणराम
10. शिशराम पुत्र नारायणराम
11. सुभाषचन्द्र पुत्र नारायणराम
12. सुमेरसिंह पुत्र नारायणराम
13. सुरेन्द्र पुत्र नारायणराम
14. इन्द्रा देवी पत्नी रामसिंह
15. अमित पुत्र रामसिंह
16. सुमित पुत्र रामसिंह
17. अजयकुमार पुत्र रामप्रसाद
18. नरेश कुमार पुत्र रामप्रसाद
19. विजय कुमार पुत्र रामप्रसाद
20. संदीप कुमार पुत्र रामप्रसाद
21. चन्द्रकला पुत्री रामप्रसाद
22. मोहरी देवी पत्न रामप्रसाद
23. चंदगीराम पुत्र हनुमान
24. परमेश्वरी पत्नी कुरड़ाराम
25. महिपाल पुत्र कुरड़ाराम तमाम जातिगण जाट निवासीगण बास हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
26. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
27. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा निराधनू जरिये शाखा प्रबन्धक
28. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
29. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री मोहम्मद रशीद खान
वकील प्रतिवादी – मुकर्रम अंसारी

दावा बाबत धोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 14.09.2022

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बासहरिपुरा पटवार हल्का झटावा खुर्द की सरहद में भूमि हाल ख0न0 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 87, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 170, 171 कुल किता 22 कुल रकबा 33.41 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि मामराज की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की पुश्तेनी भूमि है जो कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में अपने पिता से प्राप्त हुई है। जिसमें उनका 1/6 हिस्सा है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। यानि वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/30 हिस्सा है। अंत में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 23 व 25 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 1, 24, 26 लगायत 28 बाद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण संख्या 1, 24, 26 लगायत 28 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 29 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया।

जवाब देही पूर्ण होने पर वादीगण की ओर से साक्ष्य में वाद के समर्थन में वादी ने अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर चाही गई सिद्वि अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 23 व 25 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा संतान है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक खातेदारी की भूमि रही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानुसार किसी व्यक्ति की पैतृक सम्पती में उसके वारिसान का जन्म से बराबर का हिस्सा होता है। वादी द्वारा अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में उनके वारिसान की हैसियत से अपने हक

हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। समस्त साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम बासहरिपुरा पटवार हल्का झटावा खुर्द की सरहद में स्थित भूमि हाल ख0न0 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 87, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 170, 171 कुल किता 22 कुल रकबा 33.41 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नाराम के हिस्से में दर्ज 1/6 हिस्से की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का अर्थात सम्पूर्ण भूमि में प्रत्येक को 1/30–1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/9/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर